<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक</u>

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–98 / 2019
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक :–23.10.2019
निर्णय दिनांकः–25.10.2019

उनवान

तहसीलदार तहसील, पीपलू जिला टोंक (राज.)

प्रार्थी

बनाम

प्रहलाद पुत्र कालू जाति–अहीर निवासी ग्राम–कुरेड़ा, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक

अप्रार्थी

<u>प्रा0पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज</u>
<u>अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

अधिवक्ता वादी–पैरोकार सरकार

प्रतिवादीगण–अप्रार्थी प्रहलाद निर्णय दिनांक–25.10.2019

<u>निर्णय</u>

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार पीपलू ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि भू0 अभिलेख निरीक्षक–गहलोद, पटवार हल्का–कुरेड़ा के ग्राम कुरेड़ा में नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से ख0न0 1676 / 3 रकबा 0.08 बीघा के बजाय ख0न0 1376 / 3 रकबा 0.08

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

बीघा गलत दर्ज कर दिया हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं तथा उक्त खसरा न0 का DILRMP योजना अन्तर्गत तरमीम कार्य किया जाना भी शेष हैं।

उक्त दुरूस्ती बाबत् साक्ष्य हेतु तहसीलदार पीपलू द्वारा नामान्तकरण की छाया प्रति, जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की छाया प्रति व पटवारी हल्का–कुरेड़ा , भू0अ0नि0–गहलोद की रिपोर्ट एवं खातेदार का सहमति पत्र पेश किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अवलोकन के उपरान्त प्रकरण दुरूस्ती योग्य पाया जाने पर प्रार्थना पत्र प्रा0पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 209 में अंकित ख0न0 1376/3 रकबा 0.08 के स्थान पर ख0न0 1676/3 रकबा 0.08 बीघा अंकित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)